तारीख हुक्म	
20-10-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-12-22 को पेश हो।
14-12-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वास्ते जवाब अर्जी सं. 2 लगायत 8 व बहस हेतु अर्जी अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 22-12-22 को पेश हो।
22-12-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-1-23 को पेश हो।
10-1-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र को आगे नहीं चलाने बाबत प्रार्थना-पत्र को नोट प्रेस किया। अतः वादी का प्रार्थना-पत्र नोट प्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Not pressed
10-1-23

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय लाखेरी जिला बूंदी

प्रार्थना पत्र संख्या /2020

झूमा बाई आयु 75 साल विधवा मंगलचन्द जाति मीणा निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0...मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1/1–नन्दकिशोर आ0 मंगलचन्द

1/2–साहब लाल आ0 मंगलचन्द

1/3–प्रकाशी बाई पुत्री मंगलचन्द

1/4–मूर्ति बाई पुत्री मंगलचन्द जाति मीणा निवासीगण लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

....प्रार्थीनी

बनाम

1– भैरूलाल आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी

2– रामफूल आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी

3– हेमराज आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी ...मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

3/1–सूरज आ0 हेमराज जाति मीणा निवासी पापडी

3/2–सन्तरा बाई बेवा हेमराज जाति मीणा निवासी पापडी

3/3–प्रियंका पुत्री हेमराज जाति मीणा निवासी पापडी

3/4–रिंकू कुमारी पुत्री हेमराज जाति मीणा निवासी पापडी

4– क़मला पुत्री बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी

5– प्रेम बाई पुत्री बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी

6– लाडकंवर पुत्री बजरंगलाल जाति मीणा निवासी पापडी

7– रेखा पत्नी जोधराज जाति मीणा निवासी पापडी

8–राकेश आ0 जोधराज जाति मीणा निवासी पापडी

9–अशोक आ0 भूरा जाति मीणा निवासी पापडी

10–गच्चू बाई पत्नी धन्ना जाति मीणा निवासी पापडी

11–गीता पत्नी बाबू जाति मीणा निवासी पापडी

12–गोपीशंकर आ0 बाबू जाति मीणा निवासी पापडी

13–धोली बाई पत्नी भूरा जाति मीणा निवासी पापडी

14–पुरूषोत्तम आ0 भूरा जाति मीणा निवासी पापडी

15–मांगीलाल आ0 धन्ना जाति मीणा निवासी पापडी

16–रेखा बाई पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी पापडी

17–लटूरी बाई पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी पापडी

18–संजय बाई पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी पापडी

19–हेमा पुत्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी पापडी

20–स्टेट आफॅ राजस्थान जर्ये तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ

21–भूमि अवाप्ति अधिकारी लाखेरी भारत माला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

––अप्रार्थीगण

वाद –घोषणा व दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टि0एक्ट

जवाब प्रार्थना पत्र (अप्रार्थी सं0 11,12,19 की ओर से)

.क्रमशः––2

गीता गोपीशंकर हेमा

मान्यवर महोदय,

अप्रार्थीगण सं0 11,12,19 की ओर से निम्न जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :—

(1) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं01 मे वर्णित कृषि भूमि ग्राम लबान में स्थित होना एवं खातेदार धन्ना , भूरा पि0 मन्ना , मु0 पाना बाई बेवा मन्ना ,गीता बेवा बाबू, गौरीशंकर आ0 बाबू, हेमा पुत्री बाबू जाति मीणा निवासी पापडी के खातेदार होना स्वीकार है, शेष तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है। वास्तविकता इस प्रकार है कि वाद विषयक आराजी में अप्रार्थी संख्या 11,12,19 का हिस्सा1/3 व धन्ना का हिस्सा 1/3, भूरा का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकोर्ड के अनुसार निहित था। अप्रार्थी सं0 10, 15, 17 के पूर्वज धन्ना को घरेलू कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर धन्ना के लिए उसके हिस्से की कृषि भूमि को बैचान करना अतिआवश्यक हो गया था। इस कारण अप्रार्थी सं0 11, 12,19 एवं धन्ना व भूरा के मध्य वाद विषयक आराजी का आज से करीब 28—29 वर्ष पूर्व बंटवारा मौखिक रूप से रूबरू गवाहान किया था। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 10, 15, 17 के पूर्वज धन्ना के हिस्से में उत्तर दिशा की तरफ की 6 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि आई थी और उक्त मौखिक बटवारा का अमल राजस्व रिकोर्ड में नही हुआ। प्रतिवादी सं0 10,15, 17 के पूर्वज धन्ना ने वाद विषयक कृषि भूमि का विशेष भाग उत्तर दिशा से 6 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का बैचान मोरपाल आ0 बजरंग लाल जिसके कायम मुकाम् अप्रार्थी संख्या 1लगायत 6 है।लेकिन धन्ना को कृषि भूमि का विशेष भूभाग उत्तर दिशा से 6 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का विक्रय करने में कानूनी बाधा होने की वजह से धन्ना एवं क्रेता मोरपाल के निवेदन पर प्रतिवादी सं0 11,12,19 ने विशेष भूभाग की कृषि भूमि का विक्रय करने बाबत अपनी सहमति प्रकट करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 22—6—1993 पर बतौर सहमति के रूप में अप्रार्थी सं0 11, 12,19 द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये और उत्तर दिशा की तरफ से 6 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का धन्ना द्वारा मोरपाल के पक्ष में विक्रय कर विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन कराकर प्रतिफल राशि प्राप्त कर मोरपाल को सुपुर्द कर दिया गया।यहॉ यह उल्लेखित किया जाता है कि प्रतिवादीगण सं0 11, 12, 19 द्वारा मोरपाल से कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नही की गई और न कब्जा सुपुर्द किया और न अपने हिस्से की कृषि भूमिका कोई भू—भाग बैचान किया गया। इस प्रकार धन्ना द्वारा केता मोरपाल को कृषि भूमि विकय किये जाने के बाद धन्ना का वाद विषयक आराजी में कोई हिस्सा नही रहा है।धन्ना और उसके वारिसान सहखातेदार कृषक भी नही रहे।

(2) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है।वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 ,18, 16, 9 के पूर्वज भूरा के द्वारा उक्त बटवारा होने के पश्चात वाद विषयक आराजी में से उसके हिस्से का विशेष भाग 0.61 हैक्टेयर केता झूमा बाई को विक्रय किया जाकर पंजीयन करवा दिया गया। भूरा द्वारा भी अप्रार्थीगण

.क्रमशः——3

गीता जोधमल [illegible] महावीर

संख्या 11,12,19 की सहमति अनुसार विकय पत्र का निष्पादन करवाकर केवल सहमति बाबत विकय पत्र पर अप्रार्थीगण संख्या 11,12,19 ने अपने हस्ताक्षर किये गये विक्रय करने के पश्चात अप्रार्थीगण भूरा का हिस्सा 0.28 हैक्टेयर शेष रहा है और अप्रार्थी संख्या 11, 12, 19 का हिस्सा1/3 यथावत रहा है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(3) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं03 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।

(4) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है।

(5) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है।

(6) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है।

(7) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है।

(8) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 8 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीनी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

प्रार्थना प्रार्थीया स्वीकार नही, अस्वीकार है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण संख्या 11,12,19 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार किया जाकर वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जोभी सुलभ हो वह प्रदान करने की कृपा करे।

दिनांक 27-9.22

गीता

विनीत
अप्रार्थी संख्या 11,12,19

1—गीता पत्नी बाबू जाति मीणा निवासी पापडी
2—गोपीशंकर आ0 बाबू जाति मीणा निवासी पापडी
3—हेमा पुत्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी पापडी
तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी